सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/524 दर्ज तिथिः–02.12.2024

1. पुरखाराम पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. रूपसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. सायर कंवर पत्नी गुलाबसिंह
4. चेलसिंह पुत्र राणसिंह
5. दीपसिंह पुत्र राणसिंह
6. जीवराजसिंह पुत्र भूरसिंह फौत के कायम मुकाम
   6/1 दलपतसिंह पुत्र जीवराजसिंह
7. जसुकंवर पत्नी राणसिंह
8. ललु कंवर पत्नी राणसिंह
9. सुआ कंवर पत्नी राणसिंह
10. भवर कंवर पत्नी परबतसिंह फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 04 से 05, 07 से 09
    जाति राजपूत निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

11. मैनेजर एस बी आई शाखा गुड़ामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादीगणः– श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने

पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 900/21.2541 है0, 900/1/0.0405 है0, 900/2/1.3436 है0 मौजा बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 26.12.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1392 दिनांक 21.08.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3. प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए सहमति विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त सहमति विभाजन पर अधिवक्ता वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1392 दिनांक 21.08.2025 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1392 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-*	प्रकरण में दिनांक 01.08.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1929—1938 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1929—1938 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.08.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस प्रतिवादी ने संयुक्त आराजी के विभाजन का नजरी नक्शा प्रस्तावित किया। उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आराजी के विभाजन का नजरी नक्शा अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर सहमति विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान की आराजी का विभाजन किया जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की सहमति विभाजन पर प्रस्तुत की गई द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 900/21.2541 है0, 900/1/0.0405 है0, 900/2/1.3436 है0 मौजा बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवष्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तावित विभाजन—प्रस्ताव मय नक्षा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may, after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

9. अतः हाल सह काष्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खाते [illegible] राजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत [illegible] बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 900/21.2541 है0, 900/1/0.0405 है0, 900/2/1.3436 है0 मौजा बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमती विभाजन मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुरखाराम पुत्र विरधाराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 कांधी की ढाणी खातेदार	बोरली	900 900/1 900/2	2.4933 0.0405 1.2392	बा0दो0 गै0मु0 चा0चार0
कुल किता 03 रकबा 3.7730 है0				
सायरकंवर पत्नी गुलाबसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	बोरली	900 900/2	1.8343 0.0522	बा0दो0 चा0चार0
कुल किता 01 रकबा 1.8865 है0				
चेलसिंह पुत्र राणसिंह हि0 1/6 जसुकंवर पत्नी राणसिंह हि0 1/27 दीपसिंह पुत्र राणसिंह हि0 1/6 ललुकंवर पुत्री राणसिंह हि0 1/27 सुआकंवर पत्नी राणसिंह हि0 1/27 जीवराजसिंह पुत्र भूरसिंह हि0 1/9 ईश्वरसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/9 रूपसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/9 सायरकंवर पत्नी गुलाबसिंह हि0 1/9 भंवरकंवर पत्नी परबतसिंह हि0 1/9 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा चेलसिंह, दीपसिंह एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	बोरली	900 900/2	16.9265 0.0522	बा0दो0 चा0चार0
कुल किता 01 रकबा 16.9787 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन [illegible] एवं नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी

को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024/524 दर्ज तिथिः—02.12.2024

1. पुरखाराम पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी बाडमेर।

.......................वादी

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. रूपसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. सायर कंवर पत्नी गुलाबसिंह
4. चेलसिंह पुत्र राणसिंह
5. दीपसिंह पुत्र राणसिंह
6. जीवराजसिंह पुत्र भूरसिंह फौत के कायम मुकाम
   6/1 दलपतसिंह पुत्र जीवराजसिंह
7. जसुकंवर पत्नी राणसिंह
8. ललु कंवर पत्नी राणसिंह
9. सुआ कंवर पत्नी राणसिंह
10. भवर कंवर पत्नी परबतसिंह फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 04 से 05, 07 से 09
    जाति राजपूत निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादी

11. मैनेजर एस बी आई शाखा गुड़ामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश कड़वासरा
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार [illegible] जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या [illegible]/2 1.2541 है0, 900/1/0.04[illegible]5 है0, 90[illegible]/1.3436 है0 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमती विभाजन मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुरखाराम पुत्र विरधाराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 कांधी की ढाणी खातेदार	बोरली	900 900/1 900/2	2.4933 0.0405 1.2392	बा0दो0 गै0मु0 चा0चार0
कुल किता 03 रकबा 3.7730 है0				
सायरकंवर पत्नी गुलाबसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	बोरली	900 900/2	1.8343 0.0522	बा0दो0 चा0चार0
कुल किता 01 रकबा 1.8865 है0				
चेलसिंह पुत्र राणसिंह हि0 1/6 जसुकंवर पत्नी राणसिंह हि0 1/27 दीपसिंह पुत्र राणसिंह हि0 1/6 ललुकंवर पुत्री राणसिंह हि0 1/27 सुआकंवर पत्नी राणसिंह हि0 1/27 जीवराजसिंह पुत्र भूरसिंह हि0 1/9 ईश्वरसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/9 रूपसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/9 सायरकंवर पत्नी गुलाबसिंह हि0 1/9 भंवरकंवर पत्नी परबतसिंह हि0 1/9 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा चेलसिंह, दीपसिंह एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	बोरली	900 900/2	16.9265 0.0522	बा0दो0 चा0चार0
कुल किता 01 रकबा 16.9787 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर